



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 42] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 2, 2010/माघ 13, 1931
 No. 42] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 2, 2010/MAGHA 13, 1931

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जनवरी, 2010

सं. भा.आ.प. 34(41)/2009-मेडि./66640.—भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, "प्रतिवर्ष एम.बी.बी.एस. में 50 दाखिलों के लिए न्यूनतम शर्तें विनियमावली, 1999" में पुनः संशोधन करने हेतु भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्, केंद्रीय सरकार के पूर्व-अनुमोदन से एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, नामतः :—

1. (i) इन विनियमों को "प्रतिवर्ष एम.बी.बी.एस. में 50 दाखिलों के लिए न्यूनतम शर्तें विनियमावली (संशोधन) 2009" कहा जाए।
- (ii) वे सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
2. "प्रतिवर्ष एम.बी.बी.एस. में 50 दाखिलों के लिए न्यूनतम शर्तें विनियमावली, 1999" में निम्नलिखित परिवर्धन/संशोधन/विलोप/प्रतिस्थापन दर्शाए जाएंगे :—
3. "रेडियो नैदानिक विभाग" शीर्षक के अंतर्गत खण्ड ख. 2.7 में दिनांक 8-7-2009 की अधिसूचना के अंतर्गत यथासंशोधित उप-खण्ड 1(क) को निम्नलिखित रूप में संशोधित/प्रतिस्थापित किया जाएगा :

"(क) 300 एम ए, 500 एम ए, 800 एम ए, आई.आई.टी.वी. प्रणाली, फ्लूरोस्कोपी प्रणाली के लिये कमरा (36 वर्ग मीटर)"।

अशोक कुमार हरित, उप-सचिव (प्रशा.)

[विज्ञापन III/4/100/09-असा.]

पाद टिप्पणी : प्रधान विनियमावली नामतः "प्रतिवर्ष एम.बी.बी.एस. में 50 दाखिलों के लिए न्यूनतम शर्तें विनियमावली, 1999" को भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् की दिनांक 30 मार्च, 1999 की अधिसूचना संख्या 35 (1)/1998-मेडि (ii) के अंतर्गत दिनांक 29 अप्रैल, 1999 को भारत के राजपत्र के भाग-III, धारा (4) में प्रकाशित किया गया था और इसे दिनांक 24 जून, 1999 के शुद्धिपत्र द्वारा संशोधित और दिनांक 20 अक्टूबर, 2008 तथा 13 नवम्बर, 2009 की अधिसूचना के अंतर्गत पुनः संशोधित किया गया था।

MEDICAL COUNCIL OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th January, 2010

No. MCI-34(41)/2009-Med./66640.—In exercise of the powers conferred by Section 33 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956), the Medical Council of India with the previous sanction of the Central Government hereby makes the following regulations to further amend the “Minimum Requirements for 50 MBBS Admissions Annually Regulations, 1999” namely :—

1. (i) These regulations may be called the “Minimum Requirements for 50 MBBS Admissions Annually Regulations (Amendment), 2009”.

(ii) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Minimum Requirements for 50 MBBS Admissions Annually Regulations, 1999, the following additions/modifications/deletions/substitutions, shall be as indicated therein :—

3. In Clause B. 2.7 under the heading “Department of Radio-Diagnosis” the sub-clause 1 (a) as amended *vide* notification dated 8-7-2009 shall be further amended/substituted as under :—

“(a) Room for 300mA, 500mA, 800mA, I.I.T.V. System, fluoroscopy System (36 sq. m.)”.

ASHOK KUMAR HARIT, Dy. Secy. (Admn.)

[ADVT. III/4/100/09-Exty.]

Foot Note : The Principal Regulations namely, “Minimum Requirements for 50 MBBS Admissions Annually Regulations, 1999” were published in Part III, Section (4) of the Gazette of India on the 29th April, 1999, *vide* Medical Council of India Notification No. 35 (1)/1998-Med. (ii) dated the 30th March, 1999 and amended *vide* corrigendum dated 24th June, 1999 and further amended *vide* Notification dated 20th October, 2008 and 13th November, 2009.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जनवरी, 2010

सं. भा.आ.प. 34(41)/2009-मेडि./66640.—भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, “प्रतिवर्ष एम.बी.बी.एस. में 100 दाखिलों के लिए न्यूनतम शर्तें विनियमावली, 1999” में पुनः संशोधन करने हेतु भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्, केंद्रीय सरकार के पूर्व-अनुमोदन से एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, नामतः :—

1. (i) इन विनियमों को “प्रतिवर्ष एम.बी.बी.एस. में 100 दाखिलों के लिए न्यूनतम शर्तें विनियमावली (संशोधन) 2009” कहा जाए।

(ii) वे सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. “प्रतिवर्ष एम.बी.बी.एस. में 100 दाखिलों के लिए न्यूनतम शर्तें विनियमावली, 1999” में निम्नलिखित परिवर्धन/संशोधन/विलोप/प्रतिस्थापन दर्शाए जाएंगे :—

3. “रेडियो नैदानिक विभाग” शीर्षक के अंतर्गत खण्ड ख. 2.7 में दिनांक 20-10-2009 की अधिसूचना के अंतर्गत यथासंशोधित उप-खण्ड 1(क) को निम्नलिखित रूप में संशोधित/प्रतिस्थापित किया जाएगा :

“(क) 300 एम ए, 500 एम ए, 800 एम ए, आई.आई.टी.वी. प्रणाली, फ्लूरोस्कोपी प्रणाली के लिये कमरा (36 वर्ग मीटर)”।

अशोक कुमार हरित, उप-सचिव (प्रशा.)

[विज्ञापन III/4/100/09-असा.]

पाद टिप्पणी : प्रधान विनियमावली नामतः “प्रतिवर्ष एम.बी.बी.एस. में 100 दाखिलों के लिए न्यूनतम शर्तें विनियमावली, 1999” को भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् की दिनांक 30 मार्च, 1999 की अधिसूचना संख्या 35 (1)/1998-मेडि (ii) के अंतर्गत दिनांक 29 अप्रैल, 1999 को भारत के राजपत्र के भाग III, धारा (4) में प्रकाशित किया गया था और इसे दिनांक 24 जून, 1999 के शुद्धिपत्र द्वारा संशोधित और दिनांक 20 अक्टूबर, 2008 तथा 13 नवम्बर, 2009 की अधिसूचना के अंतर्गत पुनः संशोधित किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th January, 2010

No. MCI-34(41)/2009-Med./66640.—In exercise of the powers conferred by Section 33 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956), the Medical Council of India with the previous sanction of the Central Government hereby makes the following regulations to further amend the “Minimum Requirements for 100 MBBS Admissions Annually Regulations, 1999” namely :—

1. (i) These regulations may be called the “Minimum Requirements for 100 MBBS Admissions Annually Regulations (Amendment), 2009”.
- (ii) they shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Minimum Requirements for 100 MBBS Admissions Annually Regulations, 1999, the following additions/modifications/deletions/substitutions, shall be as indicated therein :—
3. In Clause B. 2.7 under the heading “Department of Radio-Diagnosis” the sub-clause 1 (a) as amended *vide* notification dated 20-10-2009 shall be further amended/substituted as under :—

“(a) Room for 300mA, 500mA, 800mA, I.I.T.V. System, fluoroscopy System (36 sq. m.)”

ASHOK KUMAR HARIT, Dy. Secy. (Admn.)

[ADVT. III/4/100/09-Exty.]

Foot Note : The Principal Regulations namely, “Minimum Requirements for 100 MBBS Admissions Annually Regulations, 1999” were published in Part III, Section 4 of the Gazette of India on the 29th April, 1999, *vide* Medical Council of India Notification No. 35 (1)/1998-Med. (ii) dated the 30th March, 1999 and amended *vide* corrigendum dated 24th June, 1999 and further amended *vide* Notification dated 20th October, 2008, 1st December, 2008 and 13th November, 2009.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जनवरी, 2010

सं. भाआप-34(41)/2009-मेडि./66640.—भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, “प्रतिवर्ष एम.बी.बी.एस. में 150 दाखिलों के लिए न्यूनतम शर्तें विनियमावली, 1999” में पुनः संशोधन करने हेतु भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्, केंद्रीय सरकार के पूर्व-अनुमोदन से एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, नामतः :—

1. (i) इन विनियमों को “प्रतिवर्ष एम.बी.बी.एस. में 150 दाखिलों के लिए न्यूनतम शर्तें विनियमावली (संशोधन) 2009” कहा जाए।
- (ii) वे सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
2. प्रतिवर्ष एम.बी.बी.एस. में 150 दाखिलों के लिए न्यूनतम शर्तें विनियमावली, 1999 में निम्नलिखित परिवर्धन/संशोधन/विलोप/प्रतिस्थापन दर्शाए जाएंगे :—
3. “रेडियो नैदानिक विभाग” शीर्षक के अंतर्गत खण्ड ख. 2.7 में दिनांक 8-7-2009 की अधिसूचना के अंतर्गत यथासंशोधित उप-खण्ड 1(क) को निम्नलिखित रूप में संशोधित/प्रतिस्थापित किया जाएगा :

“(क) 300 एम ए, 500 एम ए, 800 एम ए, आई.आई.टी.वी. प्रणाली, फ्लूरोस्कोपी प्रणाली के लिये कमरा (36 वर्ग मीटर)”।

अशोक कुमार हरित, उप-सचिव (प्रशा.)

[विज्ञापन III/4/100/09-असा.]

पाद टिप्पणी : प्रधान विनियमावली नामतः “प्रतिवर्ष एम.बी.बी.एस. में 150 दाखिलों के लिए न्यूनतम शर्तें विनियमावली, 1999” को भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् की दिनांक 30 मार्च, 1999 की अधिसूचना संख्या 35 (1)/1998-मेडि (ii) के अंतर्गत दिनांक 29 अप्रैल, 1999 को भारत के राजपत्र के भाग III, खंड 4 में प्रकाशित किया गया था और इसे दिनांक 24 जून, 1999 के शुद्धिपत्र द्वारा संशोधित और दिनांक 20 अक्टूबर, 2008, 8 जुलाई, 2009 तथा 13 नवम्बर, 2009 की अधिसूचना के अंतर्गत पुनः संशोधित किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th January, 2010

No. MCI-34(41)/2009-Med./66640.—In exercise of the powers conferred by Section 33 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956), the Medical Council of India with the previous sanction of the Central Government hereby makes the following regulations to further amend the “Minimum Requirements for 150 MBBS Admissions Annually Regulations, 1999” namely :—

1. (i) These regulations may be called the “Minimum Requirements for 150 MBBS Admissions Annually Regulations (Amendment), 2009”.

(ii) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Minimum Requirements for 150 MBBS Admissions Annually Regulations, 1999, the following additions/modifications/deletions/substitutions, shall be as indicated therein :—

3. In Clause B. 2.7 under the heading “Department of Radio-Diagnosis” the sub-clause 1 (a) as amended *vide* notification dated 8-7-2009 shall be further amended/substituted as under :—

“(a) Room for 300mA, 500mA, 800mA, I.I.T.V. System, fluoroscopy System (36 sq. m.)”

ASHOK KUMAR HARIT, Dy. Secy. (Admn.)

[ADVT-III/4/100/09-Exty.]

Foot Note : The Principal Regulations namely, “Minimum Requirements for 150 MBBS Admissions Annually Regulations, 1999” were published in Part III, Section 4 of the Gazette of India on the 29th April, 1999, *vide* Medical Council of India Notification No. 35 (1)/1998-Med. (ii) dated the 30th March, 1999 and amended *vide* corrigendum dated 24th June, 1999 and further amended *vide* Notification dated 20th October, 2008, 8th July, 2009 and 13th November, 2009.